भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

वार्षिक साधारण सभा के इवेंट मैनेजमेंट हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755. 2457017
E- mail : gm.fo.bsds@gmail.com

:: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल–462024

फोन नंबर (0755)–2457017

Ref No: 6483-6485 **Dated: 15.09.2025**

<u>वार्षिक साधारण सभा के इवेंट मैनेजमेंट हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की 43वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन दिनांक 29.09.2025 को किया जाना है। इस हेतु आवश्यक कार्यक्रम के सम्पूर्ण कार्य हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी/फर्म/एजेन्सी/होटल से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 50,000/– ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगा। ईएमडी की मूल रसीद एवं वांछित दस्तावेज, पेन कार्ड तथा फूड लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

कार्य विवरण	निविदा प्रपत्र की राशि रू.	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनॉक व समय	निविदा भरने की अंतिम दिनॉक व समय	निविदा खुलने की दिनॉक व समय
वार्षिक साधारण सभा का इवेंट मैनेजमेंट	500.00	16-09-2025 प्रातः 11:00 बजे	22-09-2025 मध्यान्ह 12:00 बजे	23-09-2025 अपरान्ह 02:00 बजे

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण mptenders.gov.in एवं इस कार्यालय की वेबसाईट www.sanchidairy.com तथा www.sanchibhopal.com पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र mptenders.gov.in से ऑनलाईन क्रय किया जाना होगा। समस्त निविदाऐं या किसी एक निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com एवं www.sanchibhopal.com देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500/—

—: निविदा प्रपत्र :—

निविदा कार्यः—

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की 43वीं वार्षिक साधारण सभा में इवेंट मैनेजमेंट हेतु निविदा सूचना।

निविदा प्रपत्र क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	: 16.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे से
निविदा प्रपत्र जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	: 22.09.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	: 23.09.2025 को अपरान्ह 02:00 बजे
पत्राचार हेतु पताः—	: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल—462024(म.प्र.)

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा किए जाने होगें।

(अ) धरोहर राशि (EMD) - Online

(ब) निविदा प्रपत्र (Price Bid) - Online

- तकनीकी अर्हताए — प्रपत्र क्रमांक 01
- कार्य हेतु निविदा शर्ते — प्रपत्र क्रमांक 02
- शपथ पत्र/घोषणा पत्र — प्रपत्र क्रमांक 03
- कार्य विवरण — प्रपत्र क्रमांक 04
- भावपत्रक — प्रपत्र क्रमांक 05

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

❖ निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –

निविदा अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 01 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर प्रपत्र क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को संबोधित पत्र, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. 43वीं वार्षिक साधारण सभा के इवेंट मैनेजमेंट हेतु विभिन्न व्यवस्था प्रदान करने के लिये निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व की पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी/होटल होना चाहिए।
2. निविदाकार का भोपाल शहर में स्वयं का प्रतिष्ठान/अधिकृत केन्द्र/बेस किचन होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।
3. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र ऑनलाईन जमा करना होगा।
4. निविदाकार को जी.एस.टी/सर्विस टैक्स/टिन एवं आयकर पंजीकृत होना चाहिए एवं इसका पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
5. निविदाकार को इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी के रूप में कम से कम 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकार का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर कम से कम 1 करोड होना अनिवार्य है।
7. निविदाकार को **प्रपत्र क्रमांक 01** में दर्शाये गये अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अर्हताओं से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है। समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां संलग्न करे।
9. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
10. निविदा के साथ रूपये 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना होगी। जमा की गई धरोहर राशि रूपये 50,000/– की मूल रसीद की स्व–प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।
11. सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने पर सुरक्षा निधि राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस राशि में धरोहर राशि रू. 50,000 को समायोजित किया जा सकेगा।
12. निविदाकार को जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा **प्रपत्र क्रमांक 01 ''अर्हतायें''** में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति एवं **भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 06)** ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
13. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
14. भोजन/स्वल्पाहार बनाने में ब्राण्डेड खाद्य सामग्री जो कि एगमार्क/एफ.एस.एस.ए.आई. या अन्य कोई निर्धारित शासकीय संस्था द्वारा प्रमाणित सामग्रियों का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
15. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर सुरक्षा राशि **(Security Deposit)** जब्त की जावेगी ।
16. फर्म को शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं कार्यालय की उपरोक्त व्यवस्थाओं से सम्बंधित समस्त प्रकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
17. निविदाकार को गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छता मानक को ध्यान में रखकर वित्तीय बिड में प्रचलित बाजार दर एवं मानक मात्रा के अनुसार दरें प्रस्तुत करना होगा।
18. भाव दरें खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
19. निविदाकार द्वारा प्रचलित बाजार दर से बहुत कम दरें प्रस्तुत करने पर भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः निविदाकार द्वारा प्रचलित बाजार दर से भी कम अथवा अत्यधिक

दरें प्रस्तुत करने पर विभागीय क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि बाजार सर्वे के आधार पर प्रचलित बाजार दर निर्धारित कर ऐसी निविदाओं को निरस्त करे जिनमें प्रचलित बाजार दरों से बहुत कम अथवा बहुत अधिक दरें प्रस्तुत की गई है।

20. फर्म अथवा निविदाकर्त्ता द्वारा अपना जो भी विवरण निविदा के प्रपत्रों में किया जावेगा वह स्पष्ट एवं हिन्दी भाषा में लेख किया जावे।
21. निविदा प्रपत्र पूर्णतः स्पष्ट रखना होगा। निविदा में कोई परिवर्तन तथा कोई परिवर्धन, कोई ऊपरी लेखन (ओव्हर राईटिंग) सफेद फल्यूड से नही की जानी चाहिये। ऐसा करने पर निविदा मान्य नही होगी।
22. निविदाकार अपनी निविदा को पूर्णतः या अंशतः न तो किसी अन्य को सुपुर्द कर सकेगा न ही हस्तांतरित कर सकेगा।
23. निविदाकार यदि उचित समझता है तो निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकता है। उपस्थित न रहने की स्थिति में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। निविदा खोलने की दिनांक/समय में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना निविदाकर्ता को एमपी टेण्डर के माध्यम से दी जायेगी।
24. निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल–462024

प्रपत्र 01

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की 43वीं वार्षिक साधारण सभा में इवेंट मैनेजमेंट हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार वार्षिक साधारण सभा का इवेंट मैनेजमेंट करने हेतु सहमत हूँ । अतः मै एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 50,000/— (रू. पचास हजार मात्र) जमा कर पावती एवं अर्हताओं के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर ऑनलाईन जमा कर रहा हूँ।

<u>अनिवार्य अर्हतायें</u>

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है अथवा नहीं अंकित करें
1	निविदाकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।	है/नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति ।	है/नहीं
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र ।	है/नहीं
4	निविदाकर्ता के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा जारी लायसेंस होना अनिवार्य है।	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राप्त नवीनीकृत लायसेंस की छायाप्रति ं।	है/नहीं
5	निविदाकर्ता का पेन कार्ड, जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है।	पेन कार्ड एवं जीएसटी की छायाप्रति ं।	है/नहीं
6	क्या निविदाकर्ता का भोपाल शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	है/नहीं
7	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	फर्म के लेटर हेड पर स्वयं का उद्घोषणा पत्र संलग्न करें।	है/नहीं
8	निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र (टर्नओवर के सत्यापन हेतु)	छायाप्रति संलग्न करे।	है/नही
9	अनुभव प्रमाण पत्र (दो वर्ष)	संलग्न करे।	है/नही

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना, अनिवार्य अर्हताओं के सम्बंध में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के दिशा–निर्देश तथा इवेंट मैनेजमेंट व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देशों को, पूर्णतः पढ़ एवं समझ लिया हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–	नाम :–
दिनांक :–	पत्राचार हेतु पता :– ....
	....
	दूरभाष / मो.नं. :– ....

प्रपत्र 02

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

:: वार्षिक साधारण सभा में इवेंट मैनेजमेंट व्यवस्था हेतु आवश्यक शर्तें ::

1	निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्तों एवं कार्य विवरण के सम्बंध में आवश्यक दिशा–निर्देश का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा वार्षिक साधारण सभा में इवेंट मैनेजमेंट की पूर्ण व्यवस्था की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
2	उक्त कार्य हेतु जारी आदेश, जारी किये जाने की दिनांक से वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक प्रभावशील रहेगा।
3	निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मो सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर/प्रतिभूति राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। धरोहर/प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4	निविदा पूर्णतः/अंशतः स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा ।
5	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, विक्रय विभाग आदि से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति निविदाकार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। सफल निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6	वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा, पानी एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा ।
7	ठेकेदार को उक्त कार्य में संलग्न किये जाने वाले श्रमिकों की सम्पूर्ण जानकारी यथा नाम, पता आदि की जानकारी फोटो सहित प्रमाणित कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
8	सफल निविदाकार को Buffet की व्यवस्था में प्रपत्र 4 अनुसार भोजन, स्वल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था करना होगा। Buffet की व्यवस्था करने हेतु फर्म द्वारा आवश्यकतानुसार योग्य कर्मचारी, आवश्यक क्रॉकरी, अन्य बर्तन, डस्टबिन, टिशू पेपर, पेयजल तथा कार्य समाप्ति उपरांत साफ–सफाई की व्यवस्था भी किया जाना होगा। उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निस्तारण की पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
9	सफल निविदाकार द्वारा उत्तम किस्म की स्टील या बोन चाइना के बर्तन भोजन परोसने एवं भोजन पकाने के लिये उपयोग किये जाने होगें। प्लास्टिक/मैलामाईन या इससे मिलते–जुलते पदार्थ के बने बर्तनों/प्लेट आदि का इस्तेमाल भोजन पकाने एवं परोसने में नही किया जावेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग फर्म द्वारा नही किया जावेगा।
10	खाद्य पदार्थो एवं उक्त कार्य हेतु व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र है। कार्य में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार पर रूपये 5000/– का जुर्माना भी आरोपित कर सकेगा। कार्य में अव्यवस्था पाये जाने, गंदगी पाये जाने, ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार पर रूपये 5000/– का जुर्माना आरोपित कर सकेगा।

11	सफल निविदाकार द्वारा भोजन, स्वल्पाहार, चाय, दूध आदि की गुणवत्ता बनाये रखने में या भोजन पकाने या परोसने में स्वच्छता सुनिश्चित करने अथवा संचालन करने में कोई गंभीर त्रुटि या लापरवाही की जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्य किसी उच्च दर प्रदायकर्त्ता को देने की स्थिति निर्मित होती है, तो इस कारण से कार्यालय को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली प्रथमतः निविदाकार के लम्बित देयक से एवं राशि ज्यादा होने पर प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी। प्रतिभूति राशि से कटोती की स्थिति में सफल निविदाकार उतनी राशि 48 घण्टे के अंदर कार्यालय में जमा करायेगा।
12	खाद्य पदार्थों में सामान्यतः किसी भी प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाना वर्जित होगा। अत्यंत आवश्यक होने की दशा में एफ.एस.एस.ए.आई. के मानक स्तर के खाद्य रंग का अल्प मात्रा में उपयोग किया जा सकेगा।
13	डिब्बा बंद उक्त खाद्य पदार्थों की शुद्धता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सफल निविदाकार का होगा। तैयार खाद्य पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिये उपयोग में लाई गई सामग्री में अपमिश्रण पाये जाने पर दाण्डिक दायित्व सफल निविदाकार का होगा। किसी तरह के अपराधिक दायित्व के लिये कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।
14	सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य/पेय पदार्थ का सेवन करने से किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति के लिये सफल निविदाकार उत्तरदायी होगा।
15	कार्यक्रम में उपयोग में लाये जाने वाले फल एवं सब्जियों का ताजा होना आवश्यक होगा। किसी तरह की सडी–गली सब्जियों एवं फलो का उपयोग नही किया जावेगा।
16	कैटरिंग कार्य में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं प्रसिद्ध ब्रांड की होना अनिवार्य है। कार्यालय द्वारा सामग्री का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
17	सफल निविदाकार को Buffet भोजन व्यवस्था के साथ अतिथियों की संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति एक लीटर मिनरल वाटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। पृथक से भी केम्पर में अथवा बोतल बंद पेयजल की आपूर्ति की जानी होगी।
18	सफल निविदाकार को भोजन/स्वल्पाहार व्यवस्था आदि हेतु प्रदाय किया गया कार्य, आदेश में दर्शित स्थल पर सम्बंधित अधिकारी के निर्देशानुसार एवं समयावधि में उपस्थित होकर करना होगा।
19	ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। कार्य में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
20	कार्य समाप्त होने की स्थिति में निविदाकार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिक दण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि में कटौत्रा कर शेष राशि निविदाकार को वापस करेगा।
21	निविदाकार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान स्वीकृत दरों के आधार पर ही किया जावेगा। स्वल्पाहार हेतु न्यूनतम 700 व्यक्तियों एवं भोजन हेतु न्यूनतम 1500 व्यक्तियों की राशि का भुगतान किया जावेगा। स्वल्पाहार अथवा भोजन में निर्धारित प्लेट संख्या से अधिक संख्या में भोजन उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त भोजन का भुगतान प्रति प्लेट के मान से स्वीकृत दर पर ही किया जावेगा।
22	निविदाकार द्वारा सभा स्थल में किसी भी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जावेगा।
23	**निविदाकार को उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा–** 1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में वर्णित सूची **(प्रपत्र–04)** के अनुसार ही भोज्य सामग्रियां, सभा में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। सूची के अनुसार भोज्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराने पर ठेकेदार के देयक से 50 प्रतिशत राशि का कटौत्रा किया जावेगा। 2. ठेकेदार को स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार सुविधायें देनी होगी।

24	यदि एक से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है, तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
25	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों, दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को उक्त कार्य हेतु ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
26	किसी भी प्रकरण मे सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में ''आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
27	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
28	प्रपत्र 4 अनुसार इवेंट मैनेजमेंट के सम्पूर्ण कार्य विवरण के अतिरिक्त औचक सामग्रियों की आवश्यकता पडने पर उसकी पूर्ति कम्पनी द्वारा की जावेगी।
29	कार्यक्रम के दौरान एवं समाप्ति के उपरांत साफ–सफाई की सुनिश्चितता निविदाकार द्वारा किया जाना अनिवार्य है। सफाई पूर्ण नही होने की स्थिति राशि रू. 5000/– का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 29 तक सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 05 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

स्थान :–	हस्ताक्षर
दिनांक :–	नाम :–
	वर्तमान पता :–
	स्थाई निवास का पता :–
	फोन न.
	मोबाईल नं.

प्रपत्र – 03

(फर्म के लैटर हैड पर)

शपथ पत्र/घोषणा पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता)......................(पंजीयन क्रमांक)..............................
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।

2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ....को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/ दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।

3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रपत्र 04

वार्षिक साधारण सभा इवेंट कार्य विवरण

1. भोजन व्यवस्था :—

क्र	विवरण	व्यक्तियों की संख्या	समय	आहार विवरण प्रति सदस्य
1.	स्वल्पाहार	700 व्यक्तियों हेतु	प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक	2 आलू बड़ा प्रति व्यक्ति (मीठी एवं खट्टी चटनी के साथ), जलेबी (न्यूनतम 70 ग्राम प्रति व्यक्ति) पोहा (न्यूनतम 100 ग्राम प्रति व्यक्ति) एवं चाय (न्यूनतम 100 एम.एल. प्रति व्यक्ति)।
2.	भोजन भरपेट दोपहर	1200 व्यक्तियों हेतु	मध्यान्ह 12.00 बजे से सभा समाप्ति तक	पूडी (दो प्रकार की सादी एवं मसाला)/चपाती, सब्जी (दो प्रकार की–मटर पनीर एवं आलू गोभी), दाल फ्राई, राइस, दही बड़ा, नारियल बर्फी, गुलाबजामुन, अचार, पापड़, सलाद, फ्राइड मिर्च, आइसक्रीम।
3	फलाहार	300 व्यक्तियों हेतु	मध्यान्ह 12.00 बजे से सभा समाप्ति तक	साबूदाना खिचडी, नारियल बर्फी

2. टेन्ट व्यवस्था :—

क्र	विवरण	संख्या	एरिया/साईज
1.	वॉटर प्रूफ टेन्ट	1	210X30 feet
2.	वॉटर प्रूफ टेन्ट (for Kitchen)	1	45X15 feet
3	वॉटर प्रूफ टेन्ट (for stall)	7	15X15 feet
4	कॉरपेट	2	210X30 feet and 30X30 feet
5	फायबर कुर्सी कवर के साथ	700	-
6	टेबल कवर सहित	80	-
7	एल.ई.डी.	2	16X12
8	जनरेटर	1	-
9	इंडसट्रियल कूलर	10	-
10	साउण्ड सेटअप	1	-
11	जनरल लाईट्स	-	-
12	बॉक्स गेट विथ फ्लेक्स प्रिटिंग	1	17X10 (Size may vary)
13	फ्लैक्स एण्ड स्टेंडी	15	2.5X5
14	बैक ड्रॉप	1	14X24 (Size may vary)
15	सेल्फी पाइंट	1	-

3. साज–सजावट एवं स्वागत सम्मान :—

क्र	विवरण
1.	स्टेज साज–सज्जा (with Orginal and artificial Flower) (Border – 60feet)
2.	टेन्ट एरिया की साज–सज्जा (with artificial Flower)
3	स्वागत हेतु बुके (3 बडे, 15 मीडियम)
4	ट्रे, गिलास, प्लेट्स, टिश्यू पेपर
5	मोमेंटो, शॉल, श्रीफल (प्रत्येक 15 नग)

4. **सरस्वती पूजन** :— सरस्वती मूर्ति सहित पूजन की समस्त सामग्री।

नोट :— उक्त के अतिरिक्त आवश्यकता अनुरूप छोटी–मोटी सामग्री इवेंट कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

:: भाव दर पत्रक ::

प्रपत्र–4 में उल्लेखित अनुसार

क्र	विवरण	दर जीएसटी सहित
1	स्वल्पाहार प्रति प्लेट	
2	भोजन प्रति प्लेट	
3	टेन्ट, साज–सजावट, स्वागत सम्मान एवं सरस्वती पूजन (प्रपत्र 4 के टेबल 2, 3 एवं 4 अनुसार)	

नोट :– भाव पत्र में दरें ऑनलाईन ही प्रस्तुत करे।